भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2816
जिसका उत्तर गुरुवार, 19 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

निचली अदालतों में ई-फाइलिंग

2816 श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निचली अदालतों में ई-फाइलिंग अपनाने की खराब स्थिति की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से कम इंटरनेट बैंडविड्थ, सर्वर की समस्या और बिजली संबंधी व्यवधानों जैसे मुद्दों के कारण होने वाली समस्याओं का समाधान करके ई-फाइलिंग अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार ई-फाइलिंग प्रक्रिया के संबंध में वकीलों और अदालत के लिपिकों के लिए प्रशिक्षण सत्र शुरू करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार की सुव्यवस्थित ई-फाइलिंग योजनाओं के लिए कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग टूल्स शुरू करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन, ई-फाइलिंग को कार्यात्मक बनाया गया है और यह भारत भर के सभी उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए उपलब्ध है। विधिक कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) शुरू की गई है, जिसमें वकालतनामा, याचिका, ई-भुगतान, आवेदन और पोर्टफोलियो जैसी उन्नत सुविधाएँ हैं। ई-कमेटी, भारतीय उच्चतम न्यायालय (एससीआई) द्वारा प्रारुपण ई-फाइलिंग नियम तैयार किए गए हैं, जिन्हें ऑनलाइन फाइलिंग के कार्यान्वयन के लिए सभी उच्च न्यायालयों को भेजा गया था । ये ई-कमेटी, एससीआई की वेबसाइट (https://filing.ecourts.gov.in) पर उपलब्ध हैं । गुजरात, राजस्थान उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर पीठ को छोड़कर कुल 25 उच्च न्यायालयों ने 31.10.2024 तक ई-फाइलिंग के आदर्श नियमों को अपनाया है।

ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय भी किए गए हैं:
• तारीख 09.10.2021 के डी.ओ. पत्र के माध्यम से, उच्चतम न्यायालय की ई-कमेटी के अध्यक्ष द्वारा सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि सभी सरकारी मुकदमे ई-फाइल किए जाएं।
• तारीख 30.11.2021 के डी.ओ. पत्र के माध्यम से, न्याय विभाग ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को सभी सरकारी मुकदमों में ई-फाइलिंग का उपयोग करने की सलाह दी है।

• तारीख 09.10.2021 के डी.ओ. पत्र के माध्यम से। 03.12.2021 को, विधि कार्य विभाग ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ सभी विधि अधिकारियों को उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्त निकायों/अधीनस्थ कार्यालयों/संबद्ध कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों सहित संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा भारत संघ की ओर से मुकदमेबाजी के संबंध में ई-फाइलिंग के लिए सलाह दी है।

अक्टूबर 2024 तक ई-फाइलिंग सुविधा का उपयोग करके जिला और तालुका न्यायालयों में 43,68,894 मामले दायर किए गए। विवरण उपाबंध I में दिए गए हैं।

वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) परियोजना के अधीन, भारत भर के 99.5% न्यायालय परिसरों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ स्पीड के साथ संयोजकता प्रदान की गई है । न्यायालय परियोजना के अधीन वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) परियोजना का उद्देश्य मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस), ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी), रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ), वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी), सबमरीन केबल इत्यादि जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके देश भर में फैले सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों को जोड़ना है। यह ई न्यायालय परियोजना का आधार है, जो देश भर के न्यायालयों में डेटा संयोजकता सुनिश्चित करता है। वर्तमान में, बीएसएनएल द्वारा सॉफ्टवेयर-परिभाषित वाइड एरिया नेटवर्क (एसडी-डब्ल्यूएएन) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 209 नए न्यायालय परिसरों को संयोजकता प्रदान की जा रही है, जिसमें बहु-संयोजकता के साथ-साथ सेवा प्रदाताओं को चुनने की सुविधा भी शामिल है।
ई-न्यायालय परियोजना के दूसरे चरण के दौरान, न्यायालयों को पावर बैकअप और निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए 5% न्यायालय परिसरों (242 न्यायालय परिसरों) में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की गई। ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के अधीन, आईसीटी अवसंरचना की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 229.5 करोड़ रुपये के परिव्यय से 1530 सौर ऊर्जा सुविधाएं स्थापित करने का प्रावधान है।

इसके अलावा, प्रत्येक राज्य में संबंधित उच्च न्यायालयों की राज्य न्यायिक अकादमियों के समन्वय से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी द्वारा अधिवक्ताओं/अधिवक्ता क्लर्कों के लिए 112 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अन्य बातों के अलावा ई-फाइलिंग के विषय को भी शामिल किया गया है।

(घ) : वर्तमान में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दस्तावेजों के अनुवाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) भाषा प्रौद्योगिकी के उपयोग को अपनाया है। फरवरी 2023 से विशेष रूप से संविधान न्याय पीठ के मामलों में मौखिक तर्कों को लिखने के लिए भी एआई को नियोजित किया गया है। तथापि, ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के अधीन, लंबित मामलों के विश्लेषण, भविष्य के मुकदमों का पूर्वानुमान आदि के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर) आदि जैसे इसके उप-समूहों के उपयोग से संबंधित एक घटक है, जिस पर 53.57 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

****

उपाबंध-1

निचली न्यायपालिका में ई-फाइलिंग के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2816 जिसका उत्तर 19/12/2024 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित विवरण। ई-फाइल किए गए कुल मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला न्यायालय में कुल मामले ई-फाइल किए गए
1	इलाहाबाद	8160
2	आंध्र प्रदेश	4
3	बंबई	1259367
4	कलकत्ता	1468
5	छत्तीसगढ	75
6	दिल्ली	933307
7	गुवाहाटी -अरुणाचल प्रदेश	0
8	गुवाहाटी -असम	14441
9	गुवाहाटी - मिजोरम	0
10	गुवाहाटी - नागालैंड	0
11	गुजरात	24
12	हिमाचल प्रदेश	83787
13	जम्मू - कश्मीर	98906
14	झारखंड	697
15	कर्नाटक	114939
16	केरल	772449
17	मध्य प्रदेश	588
18	मद्रास	924906
19	मणिपुर	4021
20	मेघालय	1
21	ओडिशा	51982
22	पटना	3654
23	पंजाब और हरियाणा	32535
24	राजस्थान	3068
25	सिक्किम	5051
26	तेलंगाना	286
27	त्रिपुरा	7977
28	उत्तराखंड	47201
	योग	**4368894**

****